213/c

Subject: [Cag-all-offices] Case of promotion taking place in the pre-revised pay structure between 1.1.2006 and the date of notification of CCCS(RP) Rules, 2008 and the subsequent merger of the pre-revised pay scales of the promotional and the feeder posts in a common Grade- fixation of pay-Regarding.

Date: 10/27/15 10:12 AM
From: Vimala <aaoauditr@cag.gov.in>
Sender: cag-all-offices-bounces@lsmgr.nic.in

To: CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in,
Jadon Vishwanath Singh <jadonv@cag.gov.in>

16-10-2015.pdf (958kB) 16-10-2015H.pdf (1.0MB)

महालेखाकार सचिवालय
A.G. Secretariat
सीएजी डायरी क्रमांक
CAG Diary No. 456
दिनांक
Date 27.10.2015

Sr.DAG.(A)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110 124

संख्या:- 127 -स्टाफ हकदारी(नियम)/ 30-2011
दिनांक:- 27.10.2015

प्रति,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
के सभी कार्यालय।

Case of promotion taking place in the pre-revised pay structure between 1.1.2006 and the date of notification of CCCS(RP) Rules, 2008 and the subsequent merger of the pre-revised pay scales of the promotional and the feeder posts in a common Grade- fixation of pay-Regarding.

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. F-2-1/2015-E. III (A) दिनांक 16/10/2015 को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधिकारी कृपया इन आदेशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस ई-मेल के संलग्नक से डाउनलोड कर लें। इन्हें संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते है।

Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi O.M. No. F-2-1/2015-E. III (A) dated 16/10/2015 on the subject cited above has been attached with this E-mail.

The field offices and officers may download these orders attached with this E-mail for further necessary action. The orders can also be downloaded from the web site of the Ministry.

भवदीया

हस्ता/-
(ए. विमला)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ (नियम)

Sr.AO (Admn-3)

27/10/15

Mr. Yogesh
Mr. Naresh
27 Rajinder Prasad.

(1)

No. F-2-1/2015-E.III (A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 16th October, 2015

Office Memorandum

Subject: Cases of promotion taking place in the pre-revised pay structure between 1.1.2006 and the date of notification of CCS(RP) Rules,2008 and the subsequent merger of the pre-revised pay scales of the promotional and the feeder posts in a common Grade-fixation of pay- Regarding.

The undersigned is directed to say that consequent upon coming into force of the CCS(RP) Rules, 2008, which were notified on 29.8.2008 but are effective from 1.1.2006, fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006 is carried out as per Rule 13 thereof. This Rule is invoked only in cases of promotion from one Grade Pay to another in the revised pay structure.

2. In terms of Section 1 of Part-A of the First Schedule of the CCS(RP) Rules, 2008, which provides for revised pay structure in the form of applicable Pay Bands and Grades Pay corresponding to various pre-revised pay scales, certain pre-revised pay scales have been merged in a common Grade Pay in the revised pay structure w.e.f. 1.1.2006. In view of this, the posts in those pre-revised pay scales which have been merged in a common Grade Pay w.e.f. 1.1.2006, are normally required to be merged even if these posts constituted feeder and promotional grades in the pre-revised pay structure.

3. However, in cases where such merger of feeder and promotional posts in the wake of their having come to lie in the same grade pay has not taken place due to administrative reasons and the posts continue to retain their promotional and feeder character as per the relevant Recruitment Rules, this Ministry issued instructions vide OM No. 10/2/2011-E.IIIA dated 7.1.2013 providing for fixation of pay on promotion in such cases under Rule 13 of CCS (RP) Rules, 2008 subject to the conditions laid down therein.

4. Now, instances have been brought to the notice of this Ministry where the feeder and promotional posts have been merged in view of the merger of the pre-revised pay scales applicable to the erstwhile feeder and promotional posts in a common grade/post after the promulgation of CCS(RP) Rules), 2008, due to which the character of posts being promotional and feeder grades as existing during

the period from 1.1.2006 to the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008 stood rescinded with retrospective effect from 1.1.2006 and, consequently, a question has been raised as to whether Rule 13 of CCS(RP) Rules, 2008 may apply for fixation of pay on promotion taking place during the period between 1.1.2006 and the date of notification of the said Rules, when the fixation of pay was actually done as applicable in the event of promotion in the pre-revised structure.

5. The matter has been considered in the light of the provisions contained in the OM No. 20020/4/2010-Estt.D dt.13.9.2012 issued by the Department of Personnel & Training, which has been issued in the context of the posts/grades merged in pursuance of the recommendations of the 6th Central Pay Commission. This OM provides, inter-alia, that the status of a government servant as on 29.8.2008 including those who have earned promotion between 1.1.2006 and 29.09.2008 will be protected as appointment/promotions are made as per the provisions of the recruitment rules applicable to the post/grade.

6. Accordingly, it has been decided that in cases where promotion took place in the pre-revised pay structure during the period between 1.1.2006 and the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008 when the pre-revised and revised pay scales were different and the posts carried the character of feeder and promotional grades, pay fixation on such promotion shall be allowed under Rule 13 of the CCS(RP) Rules, 2008, subject to the following conditions:-

(i) The promotion had taken place between 1.1.2006 and the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008 as per the Recruitment Rules then in vogue, which clearly provided for such posts being promotional grade for the feeder grade from where the promotion took place and where the posts were subsequently merged in a single post/grade consequent upon promulgation of the CCS(RP) Rules, 2008,

(ii) FR 22 (I) (a)(1), which was applicable for fixation of pay on promotion before promulgation of CCS(RP) Rules, 2008, was invoked for fixation of pay in these cases in the pre-revised structure during the period between 1.1.2006 and the date of notification of the CCS(RP) Rules 2008,

(iii) The concerned employees had opted to come over to the revised pay structure from a date occurring prior to the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008,

(iv) The concerned Recruitment Rules have been amended subsequently to provide for merger of these grades into a single grade/post.

7. This order applies only in case of promotions carried out in the pre-revised structure during 1.1.2006 and the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008. Thus, the benefit of Rule 13 of CCS(RP) Rules, 2008 would not apply in cases of appointment to the post which was in the higher pay scale in the pre-revised pay structure, where such appointment is made after the date of notification of CCS(RP) Rules, 2008.

8. In its application to the employees serving under the Indian Audit and Accounts Department, this order issues with the concurrence of the office of C&AG.

9. The Hindi Version of this OM is attached.

(Amar Nath Singh)
Deputy Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
2. Joint Secretary (Establishment) DoPT, North Block, New Delhi
3. Office Of C&AG
4. NIC, Ministry of Finance with the request that the same be posted on 'recent' in the Ministry of Finance's website and also under CCS (Revised Pay) Rules, 2008 - Pay related Orders issued by E-IIIA Branch under the Department of Expenditure.

सं. एफ-2-1/2015-ई.III (ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **संशोधन पूर्व वेतन संरचना में 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना का तारीख के बीच पदोन्नति किए जाने और बाद में पदोन्नति तथा फीडर पदों के संशोधन पूर्व वेतनमानों का विलय एक ही ग्रेड में कर दिए जाने के मामलों में वेतन निर्धारण के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 जो 29.08.2008 को अधिसूचित हुई थी लेकिन 1.1.2006 से प्रभावी है, को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त नियमावली के नियम 13 के अनुसार किया जाता है। यह नियम, संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के मामले में ही लागू होता है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क की धारा 1 की शर्तों जिनमें विभिन्न संशोधन पूर्व वेतनमानों के अनुरूप प्रयोज्य बैंड और ग्रेड वेतन के रूप में संशोधित वेतन संरचना का प्रावधान है, में कुछ संशोधन पूर्व वेतनमानों का विलय 1.1.2006 से, संशोधित वेतन संरचना में एक ही ग्रेड वेतन में कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए संशोधन पूर्व वेतनमानों वाले पद जो 1.1.2006 से एक ही ग्रेड वेतन में विलयित कर दिए गए हैं, सामान्य रूप से विलयित किए जाने अपेक्षित हैं चाहे ये पद संशोधन पूर्व वेतन संरचना में फीडर और पदोन्नति ग्रेड के पद रहे हों।

3. तथापि, ऐसे मामलों में जहां फीडर और पदोन्नति पदों का ऐसा विलय, इन पदों को एक ही ग्रेड वेतन में रख दिए जाने के तथ्य के बावजूद प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाया है और प्रासंगिक भर्ती नियमावली के अनुसार ये पद अपना पदोन्नति और फीडर पद का दर्जा बरकरार रखे हुए हैं, इस मंत्रालय ने दिनांक 7.1.2013 के का.ज्ञा. सं.10/2/2011-ई-III ए के तहत अनुदेश जारी किए थे जिनमें ऐसे मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 के तहत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, उक्त अनुदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन किए जाने का प्रावधान किया गया था।

4. अब, ऐसे मामले इस मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन के बाद तत्कालीन फीडर और पदोन्नति पदों से जुड़े संशोधन-पूर्व वेतनमानों का विलय एक ही ग्रेड/पद में कर दिए जाने के कारण फीडर और पदोन्नति पदों का विलय कर दिया गया है, जिसके

अगला पृष्ठ

कारण दिनांक 1.1.2006 से लेकर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान इन पदों की प्रकृति जो पदोन्नति और फीडर ग्रेड के पदों के रूप में विद्यमान थी, 1.1.2006 से लागू पूर्व-व्यापी प्रभाव से खंडित हो गई और परिणामस्वरूप, यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का नियम 13, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के उन मामलों में जिनमें पदोन्नति 1.1.2006 से लेकर उक्त नियमावली की अधिसूचना की तारीख की अवधि के दौरान की गई हो जबकि संशोधन-पूर्व संरचना में पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण, यथा प्रयोज्य रूप से, वास्तव में किया गया हो, लागू होगा या नहीं।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विलयित पदों/ग्रेडों के संदर्भ में जारी दिनांक 13.09.2012 के का.ज्ञा. सं.20020/4/2010-संस्था.घ में निहित प्रावधानों के आलोक में इस मामले पर विचार किया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी गई है 1.1.2006 और 29.09.2008 के बीच पदोन्नति अर्जित करने वाले कर्मचारियों सहित किसी भी सरकारी कर्मचारी की स्थिति की संरक्षा 29.08.2008 की उसकी स्थिति के अनुसार की जाएगी क्योंकि नियुक्ति/पदोन्नतियां किसी ग्रेड विशेष के लिए लागू भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं।

6. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जहां पदोन्नति संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच की गई जब संशोधन-पूर्व और संशोधित वेतनमान अलग-अलग थे और पदों का स्वरूप फीडर और पदोन्नति ग्रेड का था, ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 के तहत किया जा सकेगा:-

i) यदि पदोन्नति 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच तत्कालीन भर्ती नियमों जिनमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि ऐसे पद, फीडर ग्रेड जहां से पदोन्नति हुई है, के लिए पदोन्नति का ग्रेड है और जहां इन पदों को बाद में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप एक पद/ग्रेड में विलयित कर दिया गया था।

ii) एफआर 22 (I) (ए) (1) जो पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन से पूर्व प्रयोज्य था, का इन मामलों में प्रयोग दिनांक 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच संशोधन-पूर्व संरचना में वेतन के निर्धारण के लिए किया गया हो।

iii) संबंधित कर्मचारियों ने केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख से पहले की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना हो।

iv) इन ग्रेडों का एक ग्रेड/पद में विलयन का प्रावधान करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन बाद में कर दिया गया हो।

7. यह आदेश दिनांक 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच संशोधन-पूर्व संरचना में की गई पदोन्नतियों के मामलों पर ही लागू होगा। इस प्रकार,

2011

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 का लाभ उस पद पर नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होगा जो संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में उच्चतर वेतनमान में था किन्तु जहां ऐसी नियुक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बाद की गई हो।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधीन सेवारत कर्मचारियों पर लागू किए जाने की दृष्टि से यह आदेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की सहमति से जारी किया गया है।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. संयुक्त सचिव (संस्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर 'recent' में और व्यय विभाग के अंतर्गत सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत -ई-III ए अनुभाग द्वारा जारी वेतन संबंधी आदेशों में भी प्रदर्शित करें।

कार्यालय महालेखाकार (ले.ह.)
हरियाणा चण्डीगढ़

प्र.3/ [illegible]/कां.एम/15-16/2092

दिनांक [illegible]-11-2015

पृष्ठांकन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(1) सचिव/व.नि.नि. सचिव महालेखाकार
(2) सभी समूह अधिकारी गण के निजि सहायक
(3) प्र-I, II, III व SO (M)
(4) विधि कक्ष
(5) आई टी ए अनुभाग
(6) डी एम अनुभाग
(7) डी.एम की (संगणक) वेबसाईट हेतु
(8) कार्य संकलन-I
(9) निधि-I अनुभाग
(10) पेंशन-I अनुभाग
(11) कल्याण अनुभाग
(12) गार्ड फाईल
(13) सभी सूचना पट्टों पर चस्पाने हेतु

ह०/-
व. लेखाअधिकारी (प्र.3)

2/11/15

(7)